

**राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक: प.8(18)राज/वाद/24पार्ट—C जयपुर, दिनांक : यथा ई—हस्ताक्षर

:: आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री कमल किशोर मोट, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/162/1998) को डीडवाना—कुचामन जिले के अन्तर्गत स्थित समस्त न्यायालयों में साईबर क्राईम से संबंधित प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (साईबर क्राईम) डीडवाना—कुचामन के नवसृजित पद पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 24,200 /— प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

**(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 14 रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, विधि

Document certified by PRAMOD KUMAR MALIK <rhjspramod.malik@gmail.com>.

Digitally Signed by PRAMOD KUMAR MALIK
Designation: Secretary
Date :27-07-2026 06:17:14

**RajKaj Ref No.:
23641897**